न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 72/2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां

RAS

1 इन्द्राज पुत्र कजोड़।

2 घासीराम पुत्र रामूराम समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बेगाराम पुत्र कानाराम ।

2 महेश पुत्र बिड़दा।

3 रणवीर पुत्र बिड़दा।

4 सरस्वती स्त्री रामूराम समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

5 राजस्थान ग्रामीण बैंक बड़वासी जरिये शाखा प्रबंधक।

6 तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.06.18 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी बेगाराम बनाम इन्द्राज मु.नं.03/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुष्कर मोरदिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 24-1-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 03/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 190 रकबा 2.07 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बड़वासी तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है खसरा नम्बर 190 का

खातेदार रेस्पोडेंट नम्बर 01 बेगाराम है जमीन हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.49 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 179 रकबा 1.60 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा अपीलांट नम्बर 01 व अन्य की खातेदारी की जमीन है जमीन हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 2.70 हैक्टेयर के खातेदार अपीलांट नम्बर 02 व रेस्पोडेंट सरस्वती की जमीन है रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने जमीन हाल खसरा नम्बर 190 में आने जाने के लिये ग्राम बड़वासी से ढ़ाका का बास जाने वाली सड़क से जमीन हाल खसरा नम्बर 177 व 179 के दक्षिण सीमा के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 187 के बीच से 3.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 18.06.2018 से आवेदन स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मुल प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 190 का खातेदार बेगाराम है प्रस्तुत प्रकरण धारा 251 का है धारा 251ए का नही है। प्रार्थना पत्र के कथनों के अनुसार मौके पर रास्ता चालु है प्रार्थी को पगडण्डी को चौड़ा करवाये जाने का निवेदन करना चाहिए था खसरा नम्बर 207 जयसिंहपुरा से ढ़ाणी जाने वाला रास्ता है खसरा नम्बर 230 में से होकर भी 190 में रास्ता आता है दिया गया रास्ता नजदीकी नही है पूर्व में रास्ता विद्यमान है। श्मशान घाट में जाने के लिए यह प्रावधान नही बनाये है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मौके पर आवेदक के खसरा नम्बर तक कोई कटानी रास्ता मौजुद नही है वैकल्पिक रास्ता नही है प्रस्तुत प्रकरण में आई.एल.आर. की रिपोर्ट से सम्पूर्ण तथ्य स्पष्ट हो

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाते है विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में डी.एल.सी. रेट जमा करवा दी है। अप्रार्थी महेश व रणवीर ने डी.एल.सी. रेट प्राप्त कर ली है हमारा आवेदन धारा 251ए के प्रावधानों के अनुरूप ही है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अपने आवेदन में बिन्दु संख्या 03 पर स्पष्ट अंकित किया है कि " प्रार्थी उपर बताये नजरी नक्शे में दर्ज क ख बिन्दुओं के मध्य 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता लेना चाहता है आई.एल. आर. की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 में बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट अंकित है कि" प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 190 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड या प्रचलन में नही है। खसरा नम्बर 177 में रास्ता प्रचलन में है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कटान का नही है। खसरा नम्बर 179 व 187 में पगडण्डी के रूप में आवागमन चालु है। प्रार्थी के परिवार के श्मशान नडिया जोहड़ा में खसरा नम्बर 55 रकबा 0.25 है किस्म गैर मुमकिन मरघट में स्थित है। जिसमें जाने के लिए अन्य रास्ता निकटतम नहीं है। जो रास्ता है व ग्राम ढाका का बास से घूमकर आता है"

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस प्रकार प्रावधान है कि 251क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना, जहां (क) कोई अभिधारी अपनी जोत की सिचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या ।

Lario

प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोज या, यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमती से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें।

प्रस्तुत प्रकरण में आई.एल.आर की मौका रिपोर्ट एवं नकल नक्शा ट्रेश के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 190 में आवागमन के लिये दिये गये रास्ते ए से सी के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है खसरा नम्बर 155 में जो रास्ता मौके पर प्रचलन में बताया गया है वह भी राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नही है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर